राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 419/2011/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,
विशेष वृत–प्रथम, भिवाडी, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कायनात ग्लास इण्डस्ट्रीज,
फेस–III, भिवाडी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री विनय गोयल,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) अलवर–II, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 359/सीएसटी/2006–07/उपा/अपील्स/अल–II/भिवाडी में पारित आदेश दिनांक 10.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2006 के अन्तर्गत केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 28 एवं 65 के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 72,688/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 26.12.2005 को निरीक्षण करने पर जॉबवर्क के लिए भेजे गए माल पर 2 प्रतिशत सीएसटी चार्ज करते हुए करमुक्ति का लाभ लेते हुए 'सी' फार्म पर बेचा जाना पाया गया एवं व्यवसाय स्थल पर लेखा–पुस्तकें नहीं मिली, इसलिए उक्त निरीक्षण के आधार पर ही सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 71(1), 68 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रेकार्ड प्रस्तुत किया गया। बिक्री पर करमुक्ति का लाभ लिये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया, जिसका प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई जवाब पेश नही किये जाने के कारण कर रूपये 18,172/– एवं शास्ति रूपये 72,688/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश में शास्ति के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर,

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.02.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अन्तर कर जमा करा दिया है। सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति राशि का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मानवीय भूल को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 2 प्रतिशत से आरोपित अन्तर कर रूपये 18,172/– राज्यकोष में जमा करा दिये है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर चोरी का कोई आशय नहीं था, अतः शास्ति के बारे में अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मानवीय भूल को स्वीकार करते हुए 2 प्रतिशत से आरोपित अन्तर कर रूपये 18,172/– राज्यकोष में जमा करा दिये है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर रखा है, साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर चोरी का मनोभाव स्पष्ट नहीं होने के कारण शास्ति का आरोपण अविधिक है। प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी के समक्ष उठाये गये बिन्दुओं के अलावा कोई नया बिन्दु सामने नहीं लाया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष